

विषय वस्तु

	सिंहावलोकन	पृष्ठ ix-xii
अध्याय-1	<u>प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना</u>	1-4
(क)	प्रस्तावना.....	1
(ख)	संगठनात्मक संरचना.....	2-3
(ग)	संगठनात्मक चार्ट.....	4
अध्याय-2	<u>संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान</u>	5-7
(क)	सत्रों का बुलाया जाना और सत्रावसान.....	5
(ख)	सत्र.....	5
	(i) सत्र का बुलाया जाना.....	5-6
	(ii) सत्रावसान.....	6
(ग)	लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें (पहली से चौदहवीं लोक सभा)	6-7
अध्याय-3	<u>राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश</u>	8-13
(क)	राष्ट्रपति का अभिभाषण.....	8
(ख)	अध्यादेशों के बारे में प्रावधान.....	9
(ग)	अध्यादेश.....	9-10
(घ)	राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 2006 तक प्रख्यापित अध्यादेश	11
अध्याय-4	<u>संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण</u>	14-19
(क)	सरकारी कार्य.....	14
(ख)	सरकारी कार्य की आयोजना.....	14-15
(ग)	सरकारी कार्य का प्रबंधन.....	15
(घ)	निष्पादित सरकारी कार्य का सार.....	15-17
	(i) विधायी.....	15-16
	(ii) वित्तीय.....	16-17
	(iii) बजट.....	17
(ङ)	सरकारी समय का मुख्य आबंटन.....	17
(च)	व्यवधान इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय	17-18
(छ)	अन्य गैर-सरकारी कार्य.....	18
(ज)	1952 से 2006 तक संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या.....	18-19

अध्याय-5	<u>गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य</u>	20-28
(क)	लोक सभा.....	20-22
	(i) स्थगन प्रस्ताव.....	20
	(ii) नियम 193 के अधीन चर्चा.....	21-22
(ख)	राज्य सभा	22-24
	(i) नियम 176 के अधीन चर्चा.....	22-24
	(ii) मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा.....	24
(ग)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रुख	24-25
(घ)	दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान संसद के सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....	25-26
(ङ)	दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान संसद द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	26-27
(च)	संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2006 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	27-28
(छ)	गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प-स्वीकृत (लोक सभा).....	28
अध्याय-6	<u>आश्वासनों के कार्यान्वयन का प्रबोधन (मानीटरिंग)</u>	29-35
(क)	सामान्य प्रक्रिया.....	29
(ख)	लोक सभा.....	30-32
(ग)	राज्य सभा	32-34
(घ)	लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई.....	34-35
(ङ)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन.....	35
अध्याय-7	<u>लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले तथा</u>	36-39
	<u>राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख</u>	
(क)	नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामले.....	36
(ख)	नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अधीन विशेष उल्लेख.....	37
(ग)	अनुवर्ती कार्रवाई.....	37-38
(घ)	प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल) में उठाए गए मामलों पर कार्रवाई.....	38-39

अध्याय-8	<u>परामर्शदात्री समितियां</u>	40-43
(क)	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....	40-41
(ख)	परामर्शदात्री समितियां.....	42
(ग)	रेल क्षेत्रों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां.....	43
अध्याय-9	<u>अन्य समितियां, बोर्ड, परिषद आदि</u>	44-45
(क)	समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	44
(ख)	हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन.....	44
(ग)	याचिका समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	44-45
(घ)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....	45
(ङ)	सभा पटल पर कागजात-पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई	45
अध्याय-10	<u>संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों</u>	46-54
	<u>का आदान-प्रदान</u>	
(क)	सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमंडल के विदेश दौरे.....	46-50
अध्याय-11	<u>युवा संसद योजना</u>	55-68
(क)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता....	55-58
(i)	प्रस्तावना.....	55
(ii)	40वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह	58
(ख)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में 41वीं युवा संसद प्रतियोगिता.....	58
(ग)	केन्द्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	59-61
(i)	प्रस्तावना.....	59
(ii)	पुरस्कार वितरण समारोह.....	61
(घ)	केन्द्रीय विद्यालयों में उन्नीसवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....	61-62
(i)	अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	61
(ii)	प्रतियोगिता.....	62
(ङ)	जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	62-63
(i)	प्रस्तावना.....	62
(ii)	पुरस्कार वितरण समारोह.....	63

(च)	जवाहर नवोदय विद्यालयों में दसवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम.....	63
(छ)	विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिता.....	63-65
	(i) प्रस्तावना.....	63-64
	(ii) पुरस्कार वितरण समारोह.....	64-65
(ज)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता	65-68
	(i) प्रस्तावना	65-67
	(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता.....	67
	(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद योजना आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण	68
अध्याय-12	<u>संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं</u>	69-73
(क)	वेतन और भत्ते.....	69-72
(ख)	संसद सदस्यों का कल्याण.....	72
(ग)	संसद सदस्यों के लिए परिवहन तथा रात्रि भोज की व्यवस्था...73	
(घ)	फिल्म शो.....	73
(ङ)	महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य.....	73
अध्याय-13	<u>संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता/सचेतक</u>	74
(क)	नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों के संस्थान.....	74
(ख)	मुख्य सचेतकों/सचेतकों के लिए सुविधाएं.....	74
(ग)	संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ बैठक.....	74
अध्याय-14	<u>मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग</u>	75-76

अध्याय-15	<u>सामान्य</u>	77-80
(क)	लोक सभा के नेता.....	77
(ख)	राज्य सभा के नेता.....	77
(ग)	लोक सभा में विपक्ष के नेता.....	77
(घ)	राज्य सभा में विपक्ष के नेता	77
(ङ)	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव उत्पत्ति ग्रंथ.....	77-78
(च)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण.....	78-79
(छ)	राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.....	79
(ज)	अनुसंधान कार्य.....	79
(झ)	बजट स्थिति.....	80

परिशिष्ट

पृष्ठ

- परिशिष्ट-1** संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य 81
- परिशिष्ट-2** दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान.....82-87
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
- परिशिष्ट-3** 14वीं लोक सभा के 9वें सत्र और राज्य सभा के 209वें सत्र.....88-90
(शीतकालीन सत्र, 2006) की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य
सभा में लम्बित विधेयक
- परिशिष्ट-4** दिनांक 01.01.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान91-95
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
- परिशिष्ट-5** दिनांक 1.1.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान रेल.....96-99
और सामान्य बजटों पर विचार करने की तारीख (तारीखें)
दर्शाने वाला विवरण
- परिशिष्ट-6** दिनांक 01.01.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान.....100-106
लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक
- परिशिष्ट-7** लोक सभा में वर्ष-वार रिकार्ड किए गए, कार्यान्वित किए गए.....107
और लंबित आश्वासनों को दर्शाने वाला चार्ट
- परिशिष्ट-8** राज्य सभा में वर्ष-वार रिकार्ड किए गए, कार्यान्वित किए गए.....108
और लंबित आश्वासनों को दर्शाने वाला चार्ट
- परिशिष्ट-9** विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री109-114
समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने
के लिए सितम्बर, 2005 में तैयार की गई मार्ग-निर्देशिका
- परिशिष्ट-10** उन मंत्रालयों की सूची, जिनके लिए 14वीं लोक सभा के115-116
गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जा चुकी हैं
- परिशिष्ट-11** परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीख और उनमें.....117-122
चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

- परिशिष्ट-12** विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों; निकायों;.....123-129
परिषदों; बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन
- परिशिष्ट-13** विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समिति.....130-131
(हि.स.स.) पर संसद सदस्यों का नामांकन
- परिशिष्ट-14** संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ता और अन्य सुविधाएं.....132-137
दर्शाने वाला विवरण
- परिशिष्ट-15** मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें.....138-139
और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

सिहांवलोकन
(1.1.2006 से 31.12.2006)

विधायी

- * 1.1.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की तीन सत्रों में प्रत्येक की 77 बैठकें हुईं (पृष्ठ 5)
- * राष्ट्रपति ने दिनांक 16 फरवरी, 2006 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित किया (पृष्ठ 8)
- * वर्ष 2006-07 के लिए रेल बजट दिनांक 24 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत किया गया (पृष्ठ 17)
- * वर्ष 2006-07 के लिए सामान्य बजट दिनांक 28 फरवरी, 2006 को प्रस्तुत किया गया (पृष्ठ 17)
- * लोक सभा नियमों के नियम 331(छ) को निलंबित करके मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान हुआ। राज्य सभा ने भी मांगों पर अपने अनुप्रयोग में नियम 272 को निलंबित किया था (पृष्ठ 16-17)
- * तीन अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इनमें से एक अध्यादेश संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया (पृष्ठ 9-10)
- * संसद के दोनों सदनों द्वारा 64 विधेयक पारित किए गए (पृष्ठ 16)
- * एक विधेयक अर्थात् संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006, जैसा कि दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और जिसे दिनांक 30.05.2006 को राष्ट्रपति द्वारा लौटा दिया गया था, पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और उसे पुनः पारित किया गया (पृष्ठ 16)

नियम 377 के अंतर्गत/नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख:

- * 31.12.2005 को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाए गए 442 मामले उत्तर के लिए लंबित थे। 01.01.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान अन्य 951 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन उठाए गए कुल 1393 मामलों में से 1036 मामलों के उत्तर दिये जा चुके हैं और 357 मामले लंबित रह गए हैं (पृष्ठ 37-38)

* 31.12.2005 को राज्यसभा में किए गए 303 विशेष उल्लेख उत्तर के लिए लंबित थे। 01.01.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान अन्य 478 विशेष उल्लेख किए गए। कुल 781 विशेष उल्लेखों में से 556 विशेष उल्लेखों के उत्तर दिये जा चुके हैं, और 225 विशेष उल्लेखों के मामले लंबित रह गए हैं (पृष्ठ 37-38)

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

* राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए 31 जुलाई, 2006 से 05 अगस्त, 2006 तक संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया (पृष्ठ 79)

परामर्शदात्री समितियां

* 14वीं लोक सभा के गठन के पश्चात दिनांक 5.10.2004 को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए 29 परामर्शदात्री समितियाँ गठित की गईं। वर्ष 2006 के दौरान, दो परामर्शदात्री समितियां, अर्थात् महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समितियां क्रमशः दिनांक 20.9.2006 तथा 19.12.2006 को गठित की गई थी (पृष्ठ 42)

* दिनांक 27.11.2004 को कोयला एवं खान मंत्रालय के दो मंत्रालयों (i) कोयला मंत्रालय; और (ii) खान मंत्रालय में विभाजन के कारण, दिनांक 17.1.2005 को कोयला मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। (खान मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की जा सकी) (पृष्ठ 42)

* 14वीं लोक सभा के गठन के पश्चात 16 रेल क्षेत्रों के लिए 16 अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन किया (पृष्ठ 43)

* विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों की 115 बैठकें आयोजित हुईं (पृष्ठ 42)

विभिन्न सरकारी निकायों और हिन्दी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

* संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 272 संसद सदस्यों (177 लोक सभा तथा 95 राज्य सभा) को नामांकित किया और विभिन्न हिन्दी सलाहकार समितियों पर 34 संसद सदस्यों (13 लोक सभा तथा 21 राज्य सभा) को नामांकित किया (पृष्ठ 44)

कार्यान्वित किये गये सरकारी आश्वासन

* वर्ष 1956 से 2006 तक की समयावधि के दौरान लोक सभा में मंत्रियों द्वारा 80565 आश्वासन और राज्य सभा में 50024 आश्वासन दिये गये। इनमें लोक सभा से संबंधित 78634 आश्वासन (97.60%) और राज्य सभा से संबंधित 48259 आश्वासन (96.47%) सरकार द्वारा पहले ही पूरे कर दिये गये हैं (पृष्ठ 30-34)

आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन

* उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा में 51 आश्वासनों और राज्य सभा में 28 आश्वासनों के संबंध में आंशिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखे गये (पृष्ठ 34)

युवा संसद प्रतियोगिताएं (जवाहर नवोदय विद्यालयों/विश्वविद्यालयों)

* मंत्रालय विद्यार्थी समुदाय के लाभार्थ युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है (पृष्ठ 55)

* विभिन्न युवा संसद प्रतियोगिता योजनाओं के लिए निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए (पृष्ठ 63):-

(i) जवाहर नवोदय विद्यालय मोथुका, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में चंडीगढ़, लखनऊ, पटना और शिलांग क्षेत्रों से अध्यापकों के लिए

(ii) जवाहर नवोदय विद्यालय, पेरिया कालापेट, जिला पांडिचेरी में भोपाल, जयपुर, हैदराबाद और पुणे क्षेत्रों से अध्यापकों के लिए

* जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए नौवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पूरी हो चुकी है और दसवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है (पृष्ठ 63)

* विश्वविद्यालयों के लिए आठवीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता प्रगति पर है (पृष्ठ 64)

युवा संसद प्रतियोगिताएं (केंद्रीय विद्यालयों तथा दिल्ली/नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के विद्यालय)

* विभिन्न युवा संसद प्रतियोगिता योजना के लिए निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए :-

- (i) केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्रीय विद्यालय नं.1, भोपाल, (मध्य प्रदेश) और केंद्रीय विद्यालय नं.1, सोरीपलायम रोड, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में (पृष्ठ 61)
- (ii) दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए समिति कक्ष ख, संसदीय सौध, नई दिल्ली में (पृष्ठ 61)

* दिल्ली और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) के विद्यालयों के लिए 41वीं युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 31 विद्यालयों के युवा संसद सत्र आयोजित हुए (पृष्ठ 58)

* केन्द्रीय विद्यालयों के लिए 18वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता पूरी हो गई। 19वीं प्रतियोगिता का कार्य प्रगति पर है (पृष्ठ 60)

सरकार द्वारा प्रायोजित संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान

* इस मंत्रालय ने संसदविदों के भारतीय सद्भावना शिष्टमंडलों के पुर्तगाल और स्पेन के दौरे प्रायोजित किए (पृष्ठ 47-50)

* इस मंत्रालय ने हंगरी और स्पेन से संसदविदों के सद्भावना शिष्टमंडलों को आमंत्रित किया और उनकी मेजबानी की (पृष्ठ 50-53)

विदेश जाने वाले विभिन्न शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

* संसदीय कार्य मंत्री ने विदेश जाने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमंडलों पर 4 संसद सदस्यों को नामांकित किया/नामांकन अनुमोदित किया (पृष्ठ 53)